

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 92-ए/15

संस्थित दिनांक:- 20/08/15

01. श्रीमती गुड्डीबाई पुत्री गंगाराम पत्नी रूप सिंह कुशवाह उम्र 38 वर्ष
 निवासी :- वार्ड क्रमांक 05 लक्ष्मण तलैया गोहद, तहसील-गोहद,
 जिला-भिण्ड (म.प्र.) ----- वादी

विरुद्ध

01. गंगाराम कुशवाह पुत्र रामचरण कुशवाह उम्र 72 वर्ष
 02. प्रकाश कुशवाह पुत्र गंगाराम कुशवाह उम्र 52 वर्ष
 03. लायकराम कुशवाह पुत्र गंगाराम कुशवाह उम्र 50 वर्ष
 04. सियाराम कुशवाह पुत्र गंगाराम कुशवाह उम्र 42 वर्ष
 05. वासुदेव कुशवाह पुत्र गंगाराम कुशवाह उम्र 36 वर्ष
 निवासीगण-ग्राम बगुलरी, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
 06. श्रीमती कमलाबाई पुत्री गंगाराम पत्नी स्व.सुरेन्द्र उम्र 40 वर्ष
 निवासी-वार्ड क्रमांक 05 लक्ष्मण तलैया गोहद, तहसील-गोहद,
 जिला-भिण्ड (म.प्र.)
 07. म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
 ----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{ आज दिनांक :- 31/07/2016 को घोषित किया }

(01). वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 191 क्षेत्रफल 0.24, सर्वे क्रमांक 249 क्षेत्रफल 0.20, सर्वे क्रमांक 250 क्षेत्रफल 0.19, सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37, सर्वे क्रमांक 313/01 क्षेत्रफल 0.32 कुल क्षेत्रफल 1.32 का सम्पूर्ण भाग एवं सर्वे क्रमांक 189 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 258 क्षेत्रफल 0.32, सर्वे क्रमांक 259 क्षेत्रफल 0.33 कुल क्षेत्रफल 0.77 का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम बगुलरी एवं ग्राम सिरसौदा में स्थित सर्वे क्रमांक 917 क्षेत्रफल 0.60, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92, कुल क्षेत्रफल 3.09 में से क्षेत्रफल 0.38 तथा मौजा गोहद में स्थित सर्वे क्रमांक 845 क्षेत्रफल 1.432 में से क्षेत्रफल 0.306 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 2697 एवं 707 के संयुक्त क्षेत्रफल 1.223 में से 0.164 हैक्टेयर, के संदर्भ में स्वत्व घ गोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में यह तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा उसके वाद-पत्र में प्रस्तुत वंशवृक्ष को भी स्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 ने वादोत्तर के पद क्रमांक 01 में ग्राम सिरसौदा स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 917 क्षेत्रफल 0.60 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92 हैक्टेयर एवं ग्राम बगुलरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37 हैक्टेयर का पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार किया है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमिया वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक एवं सहदायिक सम्पत्ति है, जिन पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 का संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य है। वादग्रस्त भूमियों राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम के नाम अंकित है। वादी का वादग्रस्त भूमियों के 1/7 भाग पर जन्मजात हक है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने उक्त वादग्रस्त भूमियों को विक्रय करने की चर्चा गांव तथा गोहद के व्यक्तियों से की, जिसकी जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से दिनांक : 22/05/2015 को वादग्रस्त भूमि में स्वयं का हिस्सा मांगा, तो प्रतिवादी क्रमांक 01 नाराज हो गया और उसने वादी को धमकी दी कि वह वादी को कोई हिस्सा नहीं देगा और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि विक्रय कर वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगा। तब वादी ने दिनांक : 22/05/2015 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गोहद में विधिवत् आपत्ति प्रस्तुत की। यदि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमियों को विक्रय कर दिया गया तो वादी वादग्रस्त भूमियों में अपना हिस्सा प्राप्त करने से वंचित हो जायेगी और उसके भरण-पोषण का माध्यम समाप्त हो जायेगा। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमियों के 1/7 भाग का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाये और प्रतिवादी क्रमांक 01 को स्थाई रूप से निषेधित किया जाए कि वह वादग्रस्त भूमि में से किसी भी अंश का विक्रय वादी के अंश भाग की भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम दर्ज होने तक ना करें और वादी के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, ना किसी अन्य के माध्यम से करायें।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचनों को विनिष्टतः अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वाद-पत्र में वर्णित समस्त वादग्रस्त भूमिया पैतृक नहीं है। सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37 हैक्टेयर स्थित ग्राम बगुलरी, सर्वे क्रमांक 917 क्षेत्रफल 0.60, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92 स्थित ग्राम सिरसौदा ही पैतृक सम्पत्तियाँ हैं, शेष भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित कृषि भूमि है, जो उसके द्वारा कय की गई है। **वादग्रस्त भूमियों में से सर्वे क्रमांक 845**

क्षेत्रफल 1.432 में से क्षेत्रफल 0.306 हैक्टेयर पूर्व में ही विक्रय किया जा चुका है। वादी/प्रतिवादीगण के मध्य किसी भी दिनांक को वादग्रस्त भूमियों के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी को कोई धमकी दी गई। वादी वादग्रस्त भूमियों में से कोई हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कोई वादग्रस्त भूमि विक्रय की ही नहीं जा रही है। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(05). प्रतिवादी क्रमांक 07 म.प्र.राज्य पर समन की सम्यक् तामील के उपरांत भी उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

(06). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 09/11/2016 को वाद प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी भूमि सर्वे क्रमांक 191 क्षेत्रफल 0.24, सर्वे क्रमांक 249 क्षेत्रफल 0.20, सर्वे क्रमांक 250 क्षेत्रफल 0.19, सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37, सर्वे क्रमांक 313/01 क्षेत्रफल 0.32 कुल क्षेत्रफल 1.32 का सम्पूर्ण भाग एवं सर्वे क्रमांक 189 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 258 क्षेत्रफल 0.32, सर्वे क्रमांक 259 क्षेत्रफल 0.33 कुल क्षेत्रफल 0.77 का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम बगुलरी एवं ग्राम सिरसौदा में स्थित सर्वे क्रमांक 917 क्षेत्रफल 0.60, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92, कुल क्षेत्रफल 3.09 में से क्षेत्रफल 0.38 तथा मौजा गोहद में स्थित सर्वे क्रमांक 845 क्षेत्रफल 1.432 में से क्षेत्रफल 0.306 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 2697 एवं 707 के संयुक्त क्षेत्रफल 1.223 में से 0.164 हैक्टेयर, के 01/07 भाग की सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है?	“आंशिक रूप से प्रमाणित”
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	“प्रमाणित”

03. क्या वादी ने वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है?

“प्रमाणित”

04. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?

वाद निर्णय के पद क्रमांक 18 के अनुसार आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के कारण आज्ञाप्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(07). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों का समर्थन करते हुए तथा साक्षी रामगोपाल वा.सा.02 एवं साक्षी रामस्वरूप वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों का समर्थन करते हुए शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किये हैं। वादी ने उसके वाद के समर्थन में धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्र.पी.01, रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्र.पी.02, वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम बगुलरी की वर्ष 2014-2015 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, जो दो पृष्ठों में है, वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम सिरसौदा के वर्ष 2014-2015 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04, वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम गोहद के वर्ष 2014-2015 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05, जो आठ पृष्ठों में है, एसडीओ गोहद के समक्ष प्रस्तुत विक्रय पत्र निष्पादन के विरुद्ध आपत्ति की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.06, ग्राम बगुलरी के नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्रों के वर्ष 1990-91 के अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.07, जो तीन पृष्ठों में है, ग्राम सिरसौदा के नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्रों के वर्ष 1990-91 के अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08, जो दो पृष्ठों में है, वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम बगुलरी के सम्वत् 2033 लगायत 2037 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र. पी.09, जो तीन पृष्ठों में है, वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम सिरसौदा के सम्वत् 2030 लगायत 2034 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.10, जो दो पृष्ठों में है, प्रस्तुत की है।

(08). प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 ने वादोत्तर के पद क्रमांक 01 में ग्राम सिरसौदा स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 917 क्षेत्रफल 0.60 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92 हैक्टेयर एवं ग्राम बगुलरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37 हैक्टेयर का पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार किया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में वादी गुड्डी बाई वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि ग्राम बगुलरी का वादग्रस्त सर्वे

क्रमांक 191 एवं 252/01 पैतृक सम्पत्ति है और अन्य वादग्रस्त सर्वे क्रमांक प्रतिवादी क्रमांक 01 की आय से क्रय किये गये हैं। इस प्रकार प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 को दिये गये उक्त सुझाव से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 191 एवं 252/01 स्थित ग्राम बगुलरी की भूमियों को भी वादी/प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 ने उनके अभिवचनाओं में एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम प्रति.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 917, 918, 919, 920 स्थित ग्राम सिरसौदा, सर्वे क्रमांक 191 एवं 252/01 स्थित ग्राम बगुलरी को पैतृक सम्पत्तियाँ होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को प्रमाणित करने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं होती है।

(09). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ग्राम बगुलरी स्थित सर्वे क्रमांक 249, 250 एवं 313/01 की वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम ने पन्नालाल पुत्र वृन्दावन से क्रय किया था। इस प्रकार वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के उक्त सुझाव को स्वीकार कर वादग्रस्त भूमियों में से ग्राम बगुलरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 249, 250 एवं 313/01 की भूमियों को स्पष्ट रूप से प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम की स्वअर्जित भूमियाँ होना स्वीकार किया है और धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को प्रमाणित करने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं होती है।

(10). वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 189, 258, 259 स्थित ग्राम बगुलरी एवं भूमि सर्वे क्रमांक 845 स्थित ग्राम गोहद के वर्ष 2014-2015 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.05 में उक्त वादग्रस्त भूमियों के स्वामी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम का नाम अंकित है। वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमियाँ पैतृक सम्पत्ति नहीं हैं। वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि सर्वे क्रमांक 189 की वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी गंगाराम ने गोविन्दी पुत्र नन्दलाल से क्रय की थी। गुड्डीबाई वा.सा.01 ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि सर्वे क्रमांक 258, 259 की वादग्रस्त भूमि रामेश्वर एवं नबल किशोर पुत्रगण रामरतन से क्रय की गई सम्पत्ति है। गुड्डीबाई वा.सा.01 ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि गोहद स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2697 एवं 707 क्षेत्रफल 1.23 हैक्टेयर में से हिस्सा 0.164 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम द्वारा सरमनलाल पुत्र मीहलाल से क्रयशुदा भूमि है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम प्रति.सा.01 ने यह

दर्शित किया है कि उसकी ग्राम सिरसौदा, बगुलरी एवं मौजा गोहद में जो जमीनें हैं, वह उसकी पैतृक सम्पत्तियाँ हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में ही प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त भूमियों में वादी गुड्डीबाई का 1/7 हिस्सा है। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि वादी गुड्डीबाई का सिर्फ पैतृक भूमि में हिस्सा है। परन्तु गंगाराम प्रति.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण में विनिर्दिष्टतः यह दर्शित नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमियों में से कौन सी भूमियाँ पैतृक हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम प्रति.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि ग्राम बगुलरी में उसने अपनी कमाई से जमीन खरीदी थी और वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त कमाई अर्थात् आय उसके द्वारा पैतृक भूमि में खेती करने से प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई अर्थात् स्वअर्जित धन से उक्त भूमि कय की थी।

(11). वादोत्तर एवं प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रतिवादी गंगाराम प्रति.सा.01 द्वारा वादग्रस्त भूमियों में से कुछ भूमियों को वादी/प्रतिवादीगण की पैतृक भूमियाँ होना स्वीकार कर लेने और शेष वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम की स्वअर्जित भूमियाँ होना दर्शित करने से इस वावत् प्रमाण-भार प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 की ओर शिफ्ट हो गया था, कि वह यह प्रमाणित करते कि उनके द्वारा पैतृक भूमि होना स्वीकार की गई भूमियों के अलावा शेष वादग्रस्त भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम की स्वअर्जित भूमियाँ थी, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 की ओर से इस वावत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 यदि चाहते तो वह कथित विक्रेतागण गोविन्दी पुत्र नन्दलाल, रामेश्वर, नवलकिशोर पुत्रगण रामरतन एवं सरमनलाल पुत्र मीहलाल से कथित रूप से प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम द्वारा कय की गई वादग्रस्त भूमियों के पंजीकृत विक्रय विलेख न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते थे, जो कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 की ओर से नहीं की गई और इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा इस वावत् उनकी ओर शिफ्ट हुये प्रमाण-भार का उन्मोचन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि सर्वे क्रमांक 845 की वादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा किया जा चुका है, परन्तु इस वावत् प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा ऐसे किसी विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 189, 258, 259 स्थित ग्राम बगुलरी एवं भूमि सर्वे क्रमांक 845 स्थित मौजा गोहद भी वादी/प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्तियाँ हैं।

(12). वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2697 स्थित ग्राम गोहद के वर्ष 2014-2015 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि में प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम पुत्र रामचरन लाल का नाम उसके भाई पृथ्वीराज के साथ सर्वे क्रमांक 2697 के कुल क्षेत्रफल 1.223 हैक्टेयर के 0.404 हैक्टेयर भाग पर आधिपत्य कृषक के रूप में दर्ज है, ना भूमि स्वामी के रूप में। उक्त खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि में सर्वे क्रमांक 2697 की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम कितने समय से आधिपत्यधारी है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। वादी की ओर से ऐसे किसी राजस्व अभिलेख की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2697 स्थित ग्राम गोहद पर वादी/प्रतिवादीगण के पूर्वज भी आधिपत्यधारी रहे हो। इसलिए यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि सर्वे क्रमांक 2697 स्थित ग्राम गोहद की वादग्रस्त भूमि वादी/प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है।

(13). वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 की ओर से वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 707 के वादी/प्रतिवादीगण के स्वामी एवं आधिपत्य की पैतृक भूमि होने के संबंध में किसी राजस्व अभिलेख की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 707 वादी/प्रतिवादीगण या उनके पूर्वज स्वामी अथवा आधिपत्यधारी रहे हो। इसलिए यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि सर्वे क्रमांक 707 की वादग्रस्त भूमि वादी/प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। वादी की ओर से प्रस्तुत ग्राम बगुलरी एवं सिरसौदा की भूमियों के खसरे सम्वत् 2030 लगायत 2034, सम्वत् 2033 लगायत 2037 प्र.पी.09 एवं प्र.पी. 10 वादग्रस्त भूमियों से संबंधित नहीं है, ना ही वादी की ओर से ऐसा कोई अभिवचन किया गया कि उक्त खसरे प्र.पी.09 एवं प्र.पी.10 में वर्णित भूमियाँ ही वादग्रस्त भूमि है और कालान्तर में उनके सर्वे क्रमांक परिवर्तित हुये है, ना ही वादी द्वारा इस वावत् कोई रीनम्बरिंग सूची आदि प्रस्तुत की गई है। इसलिए प्र.पी. 09 एवं प्र.पी.10 के दस्तावेजों का कोई लाभ वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता।

(14). रामगोपाल वा.सा.02 ने भी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादी गुड्डीबाई वा.सा. 01 को वादग्रस्त भूमि में हिस्सा पाने का कोई अधिकार नहीं है।

(15). उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि वह भूमि सर्वे क्रमांक 191 क्षेत्रफल 0.24, सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37, सर्वे क्रमांक 189 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 258 क्षेत्रफल 0.32, सर्वे क्रमांक 259 क्षेत्रफल 0.33 कुल क्षेत्रफल 0.77 का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम बगुलरी एवं ग्राम सिरसौदा में स्थित सर्वे क्रमांक 917

क्षेत्रफल 0.60, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92, कुल क्षेत्रफल 3.09 में से क्षेत्रफल 0.38 तथा मौजा गोहद में स्थित सर्वे क्रमांक 845 क्षेत्रफल 1.432 में से क्षेत्रफल 0.306 हैक्टेयर, के 01/07 भाग की सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है। परन्तु वादी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वह सर्वे क्रमांक 249, सर्वे क्रमांक 250, सर्वे क्रमांक 313/01 स्थित ग्राम बगुलरी सर्वे क्रमांक 2697 एवं 707, के 01/07 भाग की सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “आंशिक रूप से प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(16). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी गुड्डीबाई वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों का समर्थन करते हुए तथा साक्षी रामगोपाल वा.सा.02 एवं साक्षी रामस्वरूप वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों का समर्थन करते हुए शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किये हैं। इस वावत् गुड्डीबाई वा.सा.01, रामगोपाल वा.सा.02 एवं रामस्वरूप वा.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है कि “प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी के स्वत्व से इन्कार कर उसे वादग्रस्त भूमि में हिस्सा देने से वंचित किया जा रहा है और वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(17). हस्तगत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 2,057 रुपये 80 पैसे निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 600/- रुपये न्याय शुल्क अदा किया गया है, जो कि जो कि पर्याप्त एवं उचित है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

(18). उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी गुड्डीबाई उसका वाद आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रही है। फलतः उसका वाद अग्रानुसार आज्ञप्त किया जाता है :-

(01). यह घोषित किया जाता है कि वादी गुड्डीबाई पुत्री गंगाराम पत्नी रूप सिंह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 191 क्षेत्रफल 0.24, सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37, सर्वे क्रमांक 189 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 258 क्षेत्रफल 0.32, सर्वे क्रमांक 259 क्षेत्रफल 0.33 के सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम बगुलरी एवं ग्राम सिरसौदा में स्थित सर्वे क्रमांक 917 क्षेत्रफल 0.60, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92, कुल क्षेत्रफल 3.09 में से क्षेत्रफल 0.38 तथा मौजा गोहद में स्थित सर्वे क्रमांक 845 क्षेत्रफल 1.432 में से क्षेत्रफल 0.306 हैक्टेयर के 01/07 भाग की सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है।

(02). वादी गुड्डीबाई वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 249, 250, 313/01 स्थित ग्राम बगुलरी, सर्वे क्रमांक 2697 एवं 707 स्थित ग्राम गोहद के संबंध में उसका वाद प्रमाणित करने में असफल रही है। फलतः उक्त भूमियों के संबंध में वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

(03). प्रतिवादी क्रमांक 01 गंगाराम को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 191 क्षेत्रफल 0.24, सर्वे क्रमांक 252/01 क्षेत्रफल 0.37, सर्वे क्रमांक 189 क्षेत्रफल 0.12, सर्वे क्रमांक 258 क्षेत्रफल 0.32, सर्वे क्रमांक 259 क्षेत्रफल 0.33 के सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम बगुलरी एवं ग्राम सिरसौदा में स्थित सर्वे क्रमांक 917 क्षेत्रफल 0.60, सर्वे क्रमांक 918 क्षेत्रफल 0.61, सर्वे क्रमांक 919 क्षेत्रफल 0.96, सर्वे क्रमांक 920 क्षेत्रफल 0.92, कुल क्षेत्रफल 3.09 में से क्षेत्रफल 0.38 तथा मौजा गोहद में स्थित सर्वे क्रमांक 845 क्षेत्रफल 1.432 में से क्षेत्रफल 0.306 हैक्टेयर में निहित वादी गुड्डीबाई के सहस्वामित्व एवं सहआधिपत्य के 1/7 भाग की सीमा तक वादग्रस्त भूमियों का कोई अंतरण किसी भी प्रकार से ना करें, ना किसी अन्य के माध्यम से करायें।

(04). उभय पक्ष अपना-अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(05). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

(19). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.